

## आवेदन-पत्र/संवीधा पत्र

सेवामें,

श्रीमान् अनुज्ञापन अधिकारी,

जिला रसद अधिकारी, जयपुर

मान्यवर

राजस्थान व्यापापरिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के अधीन मुझे अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है, इस हेतु मैं इस प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- 1- निर्धारित प्रपत्र में 2 रुपये कोर्ट फीस सहित पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र।
- 2- आवेदक के पासपोर्ट साइज के दो फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित।
- 3- निवास की सत्यता के प्रमाण-स्वरूप पहचान पत्र/मतदाता सूची/राशनकार्ड की फोटो प्रति सत्यापित कराकर संलग्न कर दिया है।
- 4- रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/कंपनी होने की स्थिति में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का प्रमाण पत्र/सहकारी समिति होने की स्थिति में सहकारी विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाणित पत्र संलग्न कर दिया है।
- 5- यदि फर्म भागीदारी है तो भागीदारी डीड की सत्यापित प्रति/कम्पनी है तो मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एवं निर्देशों की सूची/सहकारी समिति की स्थिति में सहकारी समिति के नियम/उपनियम की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की गई है। कम्पनी होने की स्थिति में निदेशकों की सूची निवास के पते एवं दूरभाष संख्या सहित संलग्न कर दी गई है।
- 6- यदि कंपनी आवेदक हो तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के लिये कम्पनी के प्रस्ताव (**Resolution**) सहकारी समिति की स्थिति में संचालक मण्डल की बैठक के निर्णय के सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की गई है।
- 7- आवेदक के चाल चलन एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में दो थोक अनुज्ञापितधारियों अथवा दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।
- 8- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हलफनामा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न कर दिया है।
- 9- गोदाम एवं व्यापार स्थल के लिये ब्लू प्रिन्ट की दो प्रतियां आवेदक द्वारा प्रमाणित कर मय टाईटल डीड/किरायानामा/निजी स्वामित्व बाबत प्रमाणित कराकर संलग्न कर दिया है।
- 10- हमने कृषि उपज मण्डी लाईसेन्स/आर.एस.टी./सी.एस.टी. नगर परिषद/लाईसेन्स/नगर पालिका का लाईसेंस प्राप्त कर लिया है। जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर दी गई है।
- 11- उत्पादक के मामले में उद्योग विभाग से प्रमाणित क्षमता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
- 12- आवेदक द्वारा थोक/खुदरा अनुज्ञा पत्र हेतु लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति राशि निर्धारित मद में सीधे ही बैंक में जमा करा दी गई है, जिसकी बैंक चालान संख्या (लाईसेन्स फीस) ..... दिनांक..... राशि .....  
..... तथा धरोहर राशि बैंक चालान नम्बर .....दिनांक ..... राशि .....  
..का मूल चालान संलग्न कर दिया गया है।
- 13- अल्प बचत में ..... रुपये की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद कर उसकी फोटो प्रति संलग्न कर दी गई है।
- 14- अन्य कोई दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा।
- 15- बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त बगैर मैं व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करूंगा।

जयपुर

दिनांक

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम.....

पिता का नाम.....

निवास पता.....

फर्म का नाम.....

फर्म का पता .....

आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद

श्री..... पुत्र श्री ..... फर्म का नाम .....

..... फर्म का पूर्ण पता .....

..... का आवेदन पत्र बाबत आर.

टी.एल. प्राप्त किया, दिनांक..... को उपस्थित हों। बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त

किये व्यवसाय किया जाना दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता

भाग- "2"

जांच अधिकारी की रिपोर्ट

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच मेरे द्वारा कर ली गई है।
- 1- आवेदक का आवेदन पूर्ण है/अपूर्ण है।
  - 2- आवेदक ने प्रतिभूति राशि/अनुज्ञापत्र राशि जमा करा दी गई है।
  - 3- आवेदक को अनुज्ञापत्र देने की अनुशंसा की जाती है/निम्न कारण से नहीं की जाती है।

.....  
.....  
.....

हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक

भाग "3"

आदेश

- 1- आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाये जाने से अनुज्ञप्ति निर्धारित प्रपत्र में जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।
- 2- आवेदन पत्र निम्नांकित कारण से निरस्त/लम्बित किया जाता है।

.....  
.....  
.....

अनुज्ञापन अधिकारी  
(जिला रसद अधिकारी)

अनुज्ञापत्र रसीद

मैंने राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एवं नियन्त्रण) आदेश 1980 के प्रावधानों को पढ लिया है तथा पूर्ण रूपेण समझ में आ गया है। मैं राज्य सरकार एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का सतत पालन करता रहूँगा तथा मैं अनुज्ञापत्र संख्या.....प्राप्त कर लिया है।

नाम.....

पिता का नाम.....

निवास पता.....

फर्म का नाम.....

थोक/खुदरा लाइसेन्स प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र

सेवामें,  
अनुज्ञापन अधिकारी

.....  
.....

श्रीमान् जी,

मैं एतद्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स एवं (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) आदेश, 1980 के अन्तर्गत लाईसेन्स दिये जाने हेतु प्रार्थी हूँ।

आवश्यक विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1- प्रार्थी का विवरण.....  
नाम ..... पुत्र श्री.....  
आयु ..... जाति .....
- 2- प्रार्थी के निवास स्थान का पूरा पता:-  
.....  
.....  
.....
- 3- नाम/तरीका जिसमें जिसमें लाईसेन्स चाहा गया है.....
- 4- प्रार्थी के व्यवसाय के स्थान की स्थिति एवं पूरा पता:-  
.....  
.....  
.....
- 5- फर्म के पार्टनरों (हिस्सेदारों) के नाम, यदि कोई हो:-
  1. श्री..... पुत्र श्री..... आयु.....  
जाति.....
  2. श्री.....पुत्र श्री .....आयु.....  
जाति .....
  3. श्री.....पुत्र श्री .....आयु.....  
जाति.....
  4. श्री.....पुत्र श्री.....आयु.....  
जाति.....
- 6- उस व्यापारिक जिन्सों का विवरण जिनमें प्रार्थी व्यापार करना चाहता है:-

थोक विक्रेता के रूप में	खैरूज विक्रेता के रूप में
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....
- 7- प्रार्थना पत्र देने की तारीख को उन व्यापारिक जिन्सों के हाजिस स्टॉक का विवरण:-  
.....  
.....  
.....

8- उन गोदामों या स्थानों का (मकान नम्बर, मोहल्ला नम्बर आदि) पूर्ण पता जहां वे व्यापारिक जिन्सों जिनके लिए लाइसेन्स चाहा गया है, रखी जावेगी।

1.....

2.....

3.....

4.....

9- क्या प्रार्थी पिछले 3 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश की अनुपालना न करने के कारण कानूनी न्यायालय द्वारा कभी दोषी ठहराया गया है .....

.....

10- प्रार्थी द्वारा धारित पिछले 3 वर्षों में लाइसेन्स रद्द होने या रोकने का विवरण .....

.....

11- क्या प्रार्थी किसी न्यायालय द्वारा निर्णित दिवालिया घोषित या न्याय निर्णीत किया गया था?

.....

मैं..... घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 11 में वर्णित विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है, और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

मैंने राजस्थान ट्रेड आर्टीकल्स (लाइसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) आदेश, 1980 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ लिया है और मैं उनका पालन करने में रजामन्द हूँ।

मालिक/हिस्सेदार के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :